"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 मार्च 2018 — चैत्र 1, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-13/2018/वाक/पांच (26). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 99 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संबंधी अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन करते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का पदनाम (2)
1.	बोर्ड द्वारा यथा अभिहित केन्द्रीय कर मुख्य आयुक्त; और
2.	राज्य कर आयुक्त

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना में 'बोर्ड' शब्द से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 में यथापरिभाषित 'बोर्ड'.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2018

क्रमांक एफ -10-13/2018/वाक/पांच (26).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-13/2018/वाक/पांच (26), दिनांक 21-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 21st March 2018

NOTIFICATION

No. F-10-13/2018/CT/V (26). — In exercise of the powers conferred by Section 99 the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, State Government, hereby Constitutes Chhattisgarh Appellate Authority for Advance Ruling for Goods and Services Tax, from the date of issue of this notification and appoints officers mentioned in Column (2) of the following table as members of the Authority :-

TABLE

Serial No.	Designation of Officers
(1)	(2)
1.	Chief Commissioner of central tax as designated by the Board; and
2.	Commissioner of State Tax

Explanation :- In this notification word 'Board' means 'Board' as defined under Section 2 of Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.